(88)

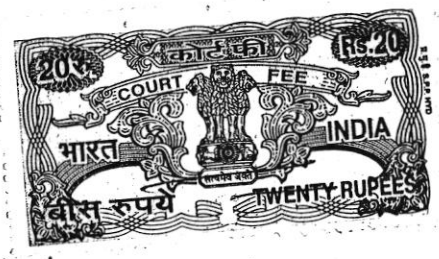

1|नि०रानी|विदिशा|भू०रा०|2017|4951

न्यायालयः माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक ..../2017 निगरानी

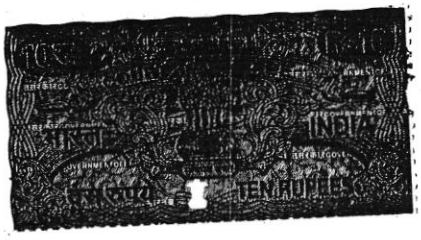

अश्फाक उद्दीन पुत्र श्री अमीन उद्दीन आयु– 59 वर्ष, जाति– मुस्लिम निवासी– ग्राम सीहोरा तहसील कुरवाई जिला विदिशा, हाल निवासी– मकान नं0 9, अशोका कॉलोनी, ओल्ड लैक व्यू होटल के बगल में, नूर महल, भोपाल, म0प्र0 **––निगरानीकर्ता / रिस्पोन्डेन्ट**

बनाम

सुशील कुमार पुत्र श्री उमाशंकर अग्रवाल आयु– 44 वर्ष, निवासी– शिव मंदिर सीहोरा तहसील कुरवाई जिला विदिशा, हाल निवासी– बेलविडेरी एवेन्यु सनवुड एन–जे, अमेरिका (यू0एस0ए0)

––प्रतिनिगरानीकर्ता / अपीलार्थी

8-12-17

8-12-17

पे दि० 21-12-17

8/12/17

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 सहपठित म0प्र0 राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 4(3) की कण्डिका 30 विरूद्ध आदेश दिनांकी 14/11/2017 पारित द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी कुरवाई जिला विदिशा प्रकरण क्रमांक 48/अपील/16–17 निगरानी व उनवान सुशील कुमार बनाम अश्फाकउद्दीन आदि ।

(3)

माननीय महोदय,

निगरानीकर्ता / रिस्पोन्डेन्ट की ओर से निगरानी निम्न प्रकार

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक– एक/निग0/विदिशा/भू.रा./2017/4951 जिला – विदिशा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28/12/17	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, कुरवाई जिला विदिशा के द्वारा प्रकरण क्रमांक 48/अपील/16–17 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 14–11–17 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है । 2– आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिंदु पर दिए गए तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश का अवलोकन किया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि उनके द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत आदेश 19 नियम 2 सी.पी.सी. को इस आधार पर कि प्रकरण में साक्ष्य कोई प्रश्न नहीं है, इसलिए उनके समक्ष आवेदक (इस न्यायालय में अनावेदक) को प्रतिपरीक्षण हेतु तलब किए जाना आवश्यक नहीं माना है एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन को निरस्त किया है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की जा रही कार्यवाही में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है । आवेदक को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर अभी अधीनस्थ न्यायालय में उपलब्ध है । ऐसी स्थिति में यह निगरानी ग्राह्य योग्य प्रतीत नहीं होती है । परिणामतः अग्राह्य की जाती है । पक्षकार सूचित हों । प्रशा0 सदस्य	